International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 7, Issue 01, January 2020
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

इस्लाम में विवाह एवं स्त्रियाँ

ज्योति सिंह

शोध छात्रा समाजशास्त्र विभाग

डॉ०आभा सक्सेना अध्यक्ष एवं ऐसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग श्रीअग्रसेन कन्या पी0जी0 कॉलेज

वाराणसी।

डॉ0 आभा सक्सेना

अध्यक्ष एवं ऐसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभागए वाराणसी

भारत में इस्लाम का आगमन करीब 12वीं शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक एंव धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। वर्षों से सम्पूर्ण भारत में हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों का अद्भुत मिलन होता आया है तथा आज के आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभुत्व में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस्लामी दर्शन में कुरान और हदीस मुख्य रूप से मुस्लिम आदर्शों और सिद्धान्तों के स्रोत रहे हैं। विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं ने शरीयत के आइने को धूमिल कर दिया है , जिससे मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को साफ तौर पर नहीं देख पा रही है। पिछले 1400 वर्षों के इतिहास में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित परम्पराएंए रूढ़ियाँ , भ्रान्तियाँ एवं रीति रिवाज के साथ.साथ शरीयत की विभिन्न ब्याख्याओं ने आधुनिक मुस्लिम महिलाओं को अपने बन्धन में बांध रखा है।

कुरान व हदीस जो कि मुस्लिम धर्म के मुख्य स्रोत है, में महिला एवं पुरूष के सम्बन्धों का जो ताना बाना बुना है, उसमें स्त्री और पुरूष को विभिन्न भूमिकाएं सौंपी गयी है तथा उसी के अनुसार दर्जा , कर्तव्य ,सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान किए गये हैं। इसी सन्दर्भ में मुस्लिम विवाह का विवेचन प्रस्तुत शोध पत्र में करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण पुरूष द्वारा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करना और उसके

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

साथ जुड़ी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त रखना है। कुरान एक ऐसा धर्म है जो एक धर्म का प्रचार करता है,जिसका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर होना आवश्यक है।

शोध छात्रा समाजशास्त्र विभागए श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कॉलेज वाराणसी

प्रत्येक जाति के स्त्री , पुरूष समाज के दो प्रमुख अंग हैं। इन दोनों पहियों के माध्यम से ही कोई भी समाज या व्यक्ति संसार में उन्नति कर सकता है। यंत्र में उसके टुकड़ों का यथा स्थान विन्यास जैसे उसके सजीव.सा कर देता है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी इन दोनों अंगों ;महिला एवं पुरूषद्ध का यथा स्थान विनियोग हुआ है। मुस्लिम धर्म ग्रन्थों यथा . कुरान की शिक्षा एक विशेष काल को लेकर प्रवृत्त हुई है। उसको एक विशेष परिस्थिति में बनकर जमना, बढ़ना और फलना फूलना पड़ा है। अतः यह अन्याय होगा यदि हम उस विशेष काल का वर्णन न कर सकें।

मुस्लिम महिलाएं समाज में जो स्थान रखती हैं उसकी महत्ता का वर्णन कुरान में स्पष्ट है। महिलाओं के सामाजिक स्तर का सम्बन्ध सामाजिक मूल्यों के साथ सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के साथ है। स्त्रियों के दर्जे से आशय है कि एक समाज विशेष में स्त्रियों को पुरूष से ऊँचा.नीचा या बराबर क्यों माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में महिलाओं के प्रति पुरूष का क्या दृष्टिकोण है। स्त्रियों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं तथा उनसे किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करने की उपेक्षा की जाती है। इस्लाम धर्म के अनुसार कुरान में अल्लाह के दिए आदेशों पर चलकर आदर्श समाज बनाने की व्यवस्था है।

परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई ह है। अरस्तू का विचार है कि सिर्फ सन्तानोत्पत्ति की धारणा से ही परिवार संगठित नहीं रहताए मनुष्य की आवश्याकताएं भी परिवार को एक इकाई बनाए रखती है। फास्टर के अनुसार ष्परिवार मनुष्य के विकास में बाधक नहीं साधक है। इस्लाम का नजरिया भी यही हैए इसलिए ब्रह्मचर्य की मनाही की गयी है और जो व्यक्ति परिवार का खर्चा उठाने की शक्ति रखते हैं उन्हें परिवार बनाकर रहने की मनाही नहीं की है।

2

कुरान में घोषणा की गयी है कि सब इंसान बराबर हैं। सब मनुष्यों की पैदाइश इस प्राणी से हुई है। सब इंसानों का मूल एक है। उसके बीच नस्ल, वंश, लिंग,जाति का भेद नहीं किया जा सकता। इस्लाम में यह भी प्रेरणा दी है कि लड़कियों का पालन.पोषण पुण्य कार्य है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुरान में परिवार के सन्दर्भ में लिखा है कि इस्लाम ने सामाजिक जीवन में परिवार का आधारभूत महत्व दिया है। वह जिस प्रकार के परिवार का गठन चाहता हैए उसकी रूपरेखा स्पष्ट की है। उसके दाम्पत्य जीवनए उनके उत्तरदायित्वोंए उनकी समस्याओंए

परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध उनके अधिकारों और उनसे सम्बन्धित अधिकतर बातों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन किया है और अपने अनुयायियों को उनका पाबन्द बनाया है। खुदा के पैगम्बरों ने जो उसके चुने हुए और उनके सबसे प्यारे बन्दे होते हैंए परिवारिक या कुटुम्बकीय जीवन व्यतीत किया है और उसकी उपेक्षाओं को पूरा किया है।

कुरान का विचार है कि मुहम्मद साहब से पहले कितने ही पैगम्बर भेजे और उन्हें बीवियाँ और सन्तान पैदा की धर्मग्रन्थ कुरान ने अनेक पैगम्बरों की पत्नियों का उनके बाल.बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का विवेचन किया है। इससे उन पैगम्बरों के अन्य परिवार वालों से सम्बन्ध उनका प्यारए सहानुभूति , निष्ठा और शुभेच्छा तथा सगे सम्बन्धियों का उनके साथ व्यवहार और उनके भी समर्थन व विरोध करने का विवरण हमारी समस्त पक्षों से स्वयं अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद साहब और उनकी पत्नियों एवं सन्तानों का उल्लेख भी कुरान मजीद में मौजूद है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर के पैगम्बरों ने क्यों पारिवारिक जीवन व्यतीत किया और उनकी समस्याओं और उलझनों से अलग रहकर खुदा की इबादत मे क्यों नही लग गये। इसका उत्तर यह है कि
पारिवारिक जीवन से धर्म और नैतिकता को जो उन्नति मिलती है
और सहानुभूति सहयोग और शुभ चिन्तन की जो पवित्र भावनाएं पलती.बढ़ती है।

साथ ही साथ आत्मनियंत्रण और सुधार के जो सुअवसर प्राप्त होते हैं वे किसी और साधन से नहीं प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन का आरम्भ उसके निकटतम लोगों के माध्यम से होता है। यही उसका खानदान एवं परिवार है। जैसा कि विदित है परिवार ही वह प्रथम पाठशाला है जहाँ से मनुष्य सामाजिकता का प्रथम पाठ पढ़ता है। इस जगत में आने के पश्चात् मनुष्य को सबसे पहले जिस सहायता की आवश्यकता होती है वह उसे परिवार से ही प्राप्त होती है। परिवार से अलग उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिवार का आरम्भ पुरूष और स्त्री के लैंगिक सम्बन्ध से होता हैए इसलिए परिवार के गठन में इसका आधारभूत महत्व है। दाम्पत्य सम्बन्ध के माध्यम से पूरा परिवार अस्तित्व में आता है। माता ,पुत्र, भाई,बहन और उनके सम्बन्ध से अन्य बहुत से रिश्ते स्थापित होते हैं। परिवार का अस्तित्व ईश्वर या खुदा का अनुग्रह एवं अहसान है। सामाजिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। यही बात कुरान में इन शब्दों में उल्लिखित हुआ है। खुदा ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही सहजाति से पत्नियाँ उत्पन्न की और तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे लिए पुत्र और पौत्र प्रदान किए और खाने के लिए पाक चीजें दी है। तो फिर क्या ये लोग ;यह सब कुछ देखते व जानते हुए असत्य को मानते हैं और खुदा की नेमत ,अनुग्रहद्ध को इनकार करते हैं।

परिवार एवं कुटुम्ब के लोगों से व्यक्ति के सम्बन्ध दूर एवं निकट के होते है। किसी से उसका खून का रिश्ता सीधे और किसी से नातेदारी के कारण होता है। इस दृष्टि से जीवन में उसके हक व अधिकार और जिम्मेदारियाँ भी नियत होती हैं और मृत्यु के बाद वे एक दूसरे के कानूनी वारिस होते हैं। परिवार का धर्म में विशेष स्थान है।

इसका आशय यह है कि परिवार केवल सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि वे धार्मिक और नैतिक अधिकार भी प्राप्त है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है वह वास्तव में पैगम्बरों के तरीके पर अमल अवश्य करता है और अपने जीवन.चरित्र एवं शिष्टाचार को उसके माध्यम से बुलन्द करता है।

यह सत्य है कि प्राचीन सभ्यताएँ अधिकतर पुरूष प्रधान थी। परन्तु धर्म ग्रन्थों में स्त्री और पुरूष दोनों की उत्पत्ति एक ही जान से बताते हुए उसकी इंसानी बारबरी को महत्व प्रदान करता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि श्जहाँ तक अधिकारों का प्रश्न हैए कुरान में औरत को पहले से अधिक अधिकार प्राप्त है परन्तुए फिर भी किसी न किसी क्षेत्र में पुरूष को उस पर प्रधानता दी गई है। कुछ आधुनिक विद्वानों का विचार है कि दोनो के प्रस्थिति में समानता है। जहाँ तक स्त्री के अधिकार और कर्तव्यों का प्रश्न है उनमें भी बराबरी है। ऐसा नहीं है कि अधिकार कम दिए गए है और कर्तव्य अधिक । कुरान के अनुसार महिलाओं का अधिकार ;पुरूषों परद्ध वैसा ही है जैसे चलन के लिहाज से महिलाओं पर है। । यह धर्मग्रन्थ औरत और मर्द दोनों के आर्थिकए सामाजिकए राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों में बराबरी का दृष्टिकोण रखता है। इन चार शब्दों में महिलाओं को वह सब कुछ दे दिया जो दृष्टिकोण जो इसका अधिकार था परन्तु इससे पहले उसे कभी नहीं मिला था। जीवन और समाज की सभी बातें इन चार लफ्जों में आ गई और सभी रखनों व खतरों को हटा दिया गया। श्लाहुन्ना मिथलुल लाघी अलयहिन्नाष् का आशय है कि पति के अधिकार और पत्नी के अधिकार बराबर हैं। बराबरी केवल अधिकारों में ही नहीं बल्कि स्त्री और पुरूष की कमाई में भी रखी गई है। कुरान में लिखा है कुछ मर्दो ने कमाया है इसके मुताबिक मर्दो का हिस्सा है और जो खुद औरतों ने कमाया है इसके मुताबिक औरतों का हिस्सा है। आयत की तफ्सीर इस तरह की है कि सह अमल सालेह का क्षेत्र है। इसमें बढ़ने के लिए किसी पर रोक नहीं है

यदि पुरूष मेहनत करे तब वह अपने संघर्ष और कमाई का पूरा फला पाएगा

और यदि स्त्री ऐसा करती है तब वह अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगी कुछ विद्वान कमाई का आशय सवाब से लगाते हैं और स्वयं इसके आर्थिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। परन्तु दोनों सूरतों में पुरूष और स्त्री को मेहनत का फल देने में अल्लाह ने किसी भी तरह का भेद नहीं किया है। दाम्पत्य सम्बन्ध केवल तृप्ति का साधन ही नहीं बल्कि इससे परिवार की बुनियाद पड़ती है। इसमें पुरूष और स्त्री दोनों के अधिकार हैं जो उन्हें प्राप्त होंगे और दोनों के उत्तरदायित्व भी हैं जिसके वे दोनों अधीन हैं। इस प्रकार कुरान स्त्री.पुरूष की समानता पर अधिक बल देता है। विवाह एक ऐसा सम्बन्ध है जिससे स्त्री.पुरूष एक साथ रहते हैं तथा परिवार का निर्माण करते हैंए जो समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। मुस्लिम विवाह कानून में कहा गया है कि विवाह स्त्री,पुरूष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य सन्तान को जन्म देना तथा उन्हें वैध रूप प्रदान करना है। लगभग इसी रूप में विद्वान हेदया ने मुस्लिम विवाह को पारिभाषित करते हुए लिखा है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता हैए जिसका उद्देश्य यौनिक सम्बन्धों द्वारा बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है। साथ ही

इसका कार्य समाज के हित में पति ,पत्नी और उनसे उत्पन्न सन्तानों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है।

विवाह से सम्बन्धित निषेधों के सन्दर्भ में अन्य समाजों के समान मुस्लिम विवाह में भी अनेक वैवाहिक निषेधों का समावेश है। कुछ निषेध इतने कठोर हैं कि किसी भी पक्ष द्वारा इनकी अवहेलना करने पर दूसरा पक्ष अपने जीवन साथी को तलाक दे सकता है अथवा विवाह को ही रद्द समझ लिया गया है। यह निषेध निम्न प्रकार है

1 कोई भी मुसलमान मूर्ति की उपासना करने वाली स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। मुसलमान पुरूष को यह अधिकार दिया गया है कि वे मूर्तिपूजक स्त्री को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर ले लेकिन मुसलमान स्त्री मुसलमान पुरूष को छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले पुरूष से विवाह नहीं कर सकती।

2 कोई भी मुसलमान स्त्री एक पति के होते हुए दूसरे पुरूष से विवाह नहीं कर सकती।

3 एक पुरूष चार स्त्रियों तक से विवाह कर सकता है लेकिन चार पत्नियाँ होने पर वह पाचवीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता।

4 जिन व्यक्तियों के बीच दूध का सम्बन्ध है उनके बीच साधारणतया विवाह सम्बन्धों की स्थापना नहीं की जा सकती।

5 तीर्थ यात्रा के समय विवाह सम्बन्धों की स्थापना करना वर्जित है।

6 यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गयी हो अथवा पति से तलाक हो चुका हो तो वह स्त्री इद्दत की अवधि पूरी किये बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकती। तीन बार मासिक धर्म होने के बीच ही वह अवधि है जिसमें निश्चित रूप से यह जान लिया जाता है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है।

7 यदि किन्ही परिस्थितियों में गर्भवती स्त्री को तलाक दे दिया गया हो तो वह स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से तब तक पुनः विवाह नहीं कर सकती जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाय।

कुरान में बहुविवाह का भी प्रचलन माना गया है। बहुविवाह दो प्रकार का होता हैए बहुपत्नित्व और बहुपतित्वए कुरान में बहुविवाह का अर्थ कई पत्नियाँ रखने से है। कुरान की सूरः निसा में लिखा है और अगर तुमको इस बात का डर हो कि बेसहारा ;लड़कियों में इन्साफ कायम नहीं रख सकोगे तो जो औरतें तुमको पसन्द हैं उनसे निकाह कर लो दो.दो या तीनदृतीन या चारदृचार से लेकिन अगर तुमको इस बात का भय हो कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव न कर सकोगे तो एक ही पत्नी से निकाह काफी है या लड़की जो तुम्हारे कब्जे में हो इस पर सन्तोष करना यह तदवीर ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि उसमें अन्याय नहीं होने की अधिक उम्मीद है। सूर निसाः 3 में स्पष्ट है कि इसमें बहुविवाह की इजाजत कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गयी हैंए इस पर भी पाबन्दियाँ लगायी गयी हैं।

तारीखी और समाजी पृष्ठभूमि में देखा जाय तो एक से अधिक विवाह की आज्ञा बेसहारा और यतीम लड़कियों को सहारा देने के लिए दी गयी हैं।

इस्लाम से पहले अरब में लावारिस लड़कियों के बली बन जाते थे और उसके धन पर कब्जा कर लेते थे। न तो वे स्वयं उनसे विवाह करते थे और न ही किसी को उनसे विवाह करने देते थे। इसलिए एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी गयी है। परन्तु यह भी बता दिया गया है कि यदि पत्नियों में बराबरी न कर सको तो एक ही बेहतर है। पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार बहुविवाह के लिए अनिवार्य है। लावारिस और विधवाओं को सहारा देना इस्लाम में महत्वपूर्ण माना गया है। कुरान में पत्नियों में समान व्यवहार को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चाहो लेकिन यह तो तुमसे हो नहीं सकेगा कि पत्नियों में एक सा बर्ताव कर सको तो बिल्कुल झुक भी न पड़ो कि दूसरी को छोड़ बैठोए जिससे वह कहीं की न रहे और अगर मेल कर लो और ;एक दूसरे पर ज्यादती सेद्ध रहो तो अल्लाह निश्चय ही बख्शने वाला मेहरबान है।

सूररू निसाः 120 के इस आयत में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पुरूष कितना भी चाहे अपनी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार करे परन्तु यह उससे हो नहीं सकेगा परन्तु किस तरह मुसलमान पुरूष यह मानते हैं कि उन्हें चार विवाह की इजाजत बिना किसी पाबन्दी के तथा बिना किसी शर्त के मान्य है। कुरान यह भी मानता है कि पुरूष अपनी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकताए फिर मुसलमान मर्द यह कैसे सोचते हैं कि वे बहुविवाह के द्वारा औरत के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैंए बहुविवाह इस्लाम में अपवाद स्वरूप रखा गया हैए परन्तु इसको मूल सिद्धान्त मान लिया गया। बेसहारा होने पर सहारा देने या औलाद नहीं होने पर बहुविवाह की इजाजत है। इन परिस्थितियों में समान व्यवहार की शर्त है। जबकि अधिकतर मुसलमान यह मानते है कि उन्हे चार शादी की आम इजाजत है। इस्लाम ऐसी परिस्थितियों के लिए एक उपचार बताता है और बहुविवाह को चार पत्नियों तक सीमित करता है। यह इस्लाम का पहला सुधार था। दूसरा सुधार सभी पत्नियों से बराबर का बर्ताव करना था। यदि किसी पत्नी को किसी तरह की निराशा या कुण्ठा हो तो वह अदालत का सहारा ले सकती है। पत्नी धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार न्याय पाने का अधिकार रखती है और कहा गया है ष्अपनी पसंद की औरत से विवाह करो। दोए तीन अथवा चार परन्तु यदि तुम्हे भय हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सकते तो तुम केवल एक औरत से निकाह करो।

कुरान के अवतरित होने से पूर्व बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियाँ रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ो पत्नियाँ होती थी। इस्लाम में अधिक से अधिक चार पत्नियों की सीमा निर्धारित कर दी। सूरः निसा आयत 129 में कहा गया है कि ष्तुम स्त्रियाँ ;पत्नियोंद्ध के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे।ष् कुरान से स्पष्ट होता है कि बहुविवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि एक मुस्लिम पुरूष के लिए एक से अधिक रखना अनिवार्य है। इस्लाम में कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुविवाह

की इजाजत दी गई हैए परन्तु बहुविवाह को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। इस्लाम में बहुविवाह का रिवाज बिना किसी शर्त और पाबन्दी के था। कुछ धर्मों में जहाँ बहुविवाह पर पाबन्दी है या छुपाकर किया जा रहा है जिससे पत्नी और बच्चों को और नुकसान होता है।

बहुविवाह मुताह के अन्तर्गत आता है जिसका अर्थ है अनुमति न कि आदेश अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि एक मुस्लिम पुरूष जिसकी दोए तीनए चार पत्नियाँ हो वह उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो। बहुविवाह में प्रत्येक पत्नी को समान अधिकार मिलना चाहिए और नही मिलने पर विवाह संविदा समाप्त भी किया जा सकता है। नई पत्नी अपनी मर्जी से बहुविवाह को स्वीकार करती है वह कानूनी तौर पर पत्नी के सभी अधिकार प्राप्त करती है बजाय एक वैश्या के जो कि समाज में गिरी हुई समझी जाती है। दूसरी पत्नी को यह विकल्प है कि या तो कानूनी पत्नी बने और अपने को शर्म और जिल्लत से बचाते हुए अपने पति को भी विश्वासघात करने से रोके। ऐसा देखने में आता है कि अधिकतर दूसरी शादी पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ होती है इसलिए वह शादी की संविदा में यह शर्त रखती है कि वह दूसरी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ या उसको बिना बताये की गयी है तब पहली पत्नी तलाक ले सकती है। यह बहुविवाह से सम्बन्धित तीसरा सुधार था। इन सुधारों से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम धार्मिक सिद्धान्त बहुविवाह को बढ़ावा देने के बजाय उसको समाज में पति,पत्नी और बच्चों के हित में सीमित करता है। इस्लाम चाहता है कि इन्सान वैधानिक दाम्पत्य में रहे जो कि इसके अधिकारों में निहित है न कि अवैधानिक और व्यभिचारी जीवन बिताए ।

इस्लाम यह मानता है कि पति.पत्नी को साथ तब तक रहना चाहिए जब तक उनमें प्यार हो और एक दूसरे का साथ निभाने की क्षमता हो। जब दोनों का साथ रहना प्रयास करने पर भी सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में इस्लाम पुरूष को तलाक और स्त्री को खुला अधिकार देता है। पति.पत्नी यदि एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएं तब इस्लाम अदालत को वैवाहिक जीवन समाप्त करने का अधिकार देता है क्योंकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है इसलिए आवश्यकता होने पर इसको समाप्त भी किया जा सकता है। हालांकि खुदा ने तलाक को पसंद नहीं किया है। इसलिए तलाक सबसे खराब हालात में देना चाहिए। तलाक में जल्दी करने की मनाही है। कुरान निर्देश देता है कि पति,पत्नी का झगड़ा होने पर तलाक से पहले पूरी तरह कोशिश करना चाहिए कि दोनों के बीच समझौता हो जाय। कुरान में कहा गया है कि अगर तुमको अपनी बीवी के बिगाड़ का अंदेशा हो तो ;बजाय अदालत या मामला तूल पकड़ने से पहलेद्ध पुरूष की तरफ से एक पंच और एक पंच स्त्री की तरफ से ठहराओ। अगर दोनो की नेक सलाह हुई तो अल्लाह दोनो में मिलन करवा देगाए बेशक अल्लाह बड़ा जानकार हर तरफ खबरदार है।

कुरान पति को आदेश देता है कि पत्नी उसे पसंद नही हो फिर भी उससे अच्छा व्यवहार करेए इनके साथ अच्छे सुलूक से रहो अगर वह तुमको न पसंद भी हो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह

इसमें बहुत कुछ भलाई रखा हैए लेकिन समझौता करने के प्रयास के बाद भी पति.पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो और दोनों का चैन सुकुन समाप्त होने वाला हो तो वहाँ आखिरी हरबे के तौर पर तलाक का प्रयोग करना चाहिए। खुला उस विवाह विच्छेद अर्थात तलाक को कहते हैं जिसमें स्त्री स्वयं विवाह विच्छेद ;तलाकद्ध के लिए अनुरोध और माँग करती है। औरत को भी

तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। जब कोई आदमी अपना पति कर्तव्य नहीं निभाता है और पत्नी को तलाक भी नहीं देता है धार्मिक प्रशासन द्वारा पति को बुलाकर पहले तलाक देने का निर्देश देना चाहिए। यदि तब भी वह तलाक नहीं देता है तब धार्मिक प्रशासन को उसकी पत्नी को तलाक का आदेश दे देना चाहिए। अब बासिर इमाम अल सादिक के अनुसार कोई आदमी अपनी पत्नी को पहनने के कपड़े और गुजारा भत्ता नहीं देता है तो मुस्लिम नेताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे उनका तलाक करा दे। परन्तु हर किसी को काजी बनकर पति ,पत्नी के झगड़े में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है और न ही इस्लाम यह चाहता है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरह छोटी-छोटी बातों पर पति,पत्नी का तलाक हो जाय।

जीनत शौकत अली ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुरान का निर्वचन वर्तमान सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ जब कुरान ने दो या तीन पत्नियों की अनुमति दी तो यह निर्बन्धित अर्थ में किया गया था। यह केवल इसलिए किया गया थाए क्योंकि उस समय पुरूष कई पत्नियाँ रखते थे। कुरान में यह भी उल्लिखित है कि यदि तुम सभी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते तो तुम्हे एक ही रखना चाहिए। कुरान का त्रुटिपूर्ण निर्वचन होने के कारण स्त्रियों को समुदाय में पीछे छोड़ दिया गया है। यही नहीं तलाक दे देने पर भी कुरान एक बार पुनः स्त्री,पुरूष को मेल करने का अवसर प्रदान करता है। इस्लाम में इस रीति को श्हलालाश् कहा जाता है। कुरान ने कहा है कि उसे तलाक दे दिया तो उस ;पुरूष को इसके बाद वह स्त्री श्हलालाश् ;विहितद्ध नहीं जब तक कि दूसरा पति उससे विवाह न कर ले। फिर पूर्व यदि तलाक दे दिया तो उन दोनों पर दोष नहींए वह अपने पूर्व पति,पत्नी सम्बन्ध पर वापस लौट सकते हैं। यदि समझे कि वह परमात्मा की मर्यादा को निभा सकेंगे। इस प्रकार इस्लाम में विवाह के सन्दर्भ में यहाँ साम्यता की प्रकृति परिलक्षित होती है।

सन्दर्भग्रन्थ .

1 कुरानए 1338 पृष्ठ 236.238

2 कुरानए 33 59 पृष्ठ 1232.1238

3 बुखारी हदीसए इण्टरनेट दिसम्बर 2009

इस्लाम में विवाह एवं स्त्रियाँ